राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउ. (सत्र 2019–20) / 2019 / 2500 **दिनांकः–** 01-10-19

सार्वजनिक सूचना

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्था,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2019–20 में पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय / निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थाओं में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित समस्त कार्यवाही पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा ही सम्पादित की जा रही है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ महाविद्यालयों / संस्थाओं द्वारा पैरा मेडिकल कौंसिल की प्रवेश प्रक्रिया के उल्लंघन में अपने स्तर पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूर्णतया अवैध (Illegal) है। राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय / निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय / संस्थाओं में प्रवेश का कार्य करने हेतु केवल राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल ही अधिकृत है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी महाविद्यालय / फेडरेशन 'अपने स्तर पर' प्रवेश संबंधित कोई कार्य ना करें। किसी भी छात्र को ऐसे अनधिकृत प्रवेश दिया जाता है तो उस अभ्यर्थी के द्वारा न्यायिक वाद का समस्त दायित्व संबंधित महाविद्यालय / संस्था का होगा, साथ ही भविष्य में पैरा मेडिकल कौंसिल में अभ्यर्थियों का. नामांकरण नहीं होने जैसे अन्य समस्याओं के लिए संबंधित महाविद्यालय / संस्था स्वंय जिम्मेदार होंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा आपके महाविद्यालय / संस्था द्वारा कौंसिल के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के एक्ट 2008 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय / संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः से पालना की जानी सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में कोई भी अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न न हों।

1/10/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउ. (सत्र 2019–20) / 2019 / 2500 **दिनांकः–** 01-10-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. उप परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. निजी सहायक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. सत्र 2019–20 के समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इच्छूक अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. रक्षित पत्रावली।

1/10/19
रजिस्ट्रार